भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 42/2024–25
दिनांकः 5 दिसम्बर, 2024

विषयः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल का निर्यात।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु अधिसूचना सं. 15/2024–25 दिनांक 05.06.2024 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

अधिसूचना सं. 15/2024–25 दिनांक 05.06.2024 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा (मात्राओं) हेतु **सेनेगल और गाम्बिया को एनसीईएल के माध्यम से टूटे हुए चावल (आईटीसी (एचएस) 10064000) के निर्यात** हेतु समयावधि को दिनांक **31 जनवरी, 2025 तक** आगे 2 माह के लिए बढ़ाया गया है।

अधिसूचना का प्रभावः

एनसीईएल के माध्यम से सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु समयावधि को दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक आगे 2 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी 5.12.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एएम–24/ईसी/ई–37225 से जारी)